न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

26.11.2024

वाद सं०– **एम०– 50/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) –बनाम– सकील खान वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– **91/2024** एवं **चैनपुर थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **12/2024 दिनांक– 26.10.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **1.** सकील खान, पिता– अजबुल खान, पता– थाना रोड चैनपुर **2.** जावेद खान, पे०– कलाम खान **3.** अभिषेक केशरी, पिता– अनिल केशरी, सा०– प्रेमनगर **4.** यशवंत केशरी, पिता– युमना केशरी **5.** बसंत साहु, पिता– मधु सुदन साहु, दोनों सा०– चैनपुर **6.** दिनेश कुमार उर्फ छोटू, पे०– स्व० अर्जुन प्रसाद, सा०–चैनपुर बस स्टैण्ड **7.** अनुप साहु, पे०– गोविन्द साव, सा०– चैनपुर **8.** रितेश कुमार गुप्ता पे०– रविन्द प्रसाद गुप्ता, ग्राम– चैनपुर **9.** मोनाजीर खान, पे० मोबिन खान **10.** रहमतुल्ला खान उर्फ टुल्लू, पे०– लतीफ खान दोनों सा०– जमगई **11.** कौशल केशरी, पे०– प्रदीप केशरी, सा०– MLA रोड चैनपुर **12.** भूषण बैगा, पे०– स्व० विश्वासनाथ बैगा, सा०– हॉस्पीटल रोड सभी थाना– चैनपुर, जिला– गुमला को **विधान सभा निर्वाचन, 2024** में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तदआलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक– 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। **थाना प्रभारी, चैनपुर** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

26/11/24

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.10 15:02:20 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner